न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/18

नन्दलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोरधन लाल जाति धाकड निवासी खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. नरेश कुमार पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद ।
3. कान्ही बाई पत्नी अमर लाल मेघवाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद ।
4. शांति बाई पत्नी रामलाल धाकड निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र गोचर, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद में खाता नम्बर 16 पर खसरा नम्बर 198 रकबा 2.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 200 रकबा 1.52 हैक्टर कुल 03 किता की 5.29 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा है प्रतिवादी क्रम 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादिनी क्रम 3 का 1/6 हिस्सा है उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे । वादी को उनके 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक से खातेदार दर्ज किया जावे व लगान पृथक से कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के 1/3 हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके और उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाए खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.2017 के द्वारा वादी का वाद अंतिम डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा रिपोर्ट व उसके अनुसार सभी पक्षों की सहमति मानकर डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की । बंटावारा पटवारी की बंटवारा स्कीम के आधार पर नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा रिपोर्ट व उसके अनुसार सभी पक्षों की सहमति मानकर बंटवारा किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जिसके खिलाफ अपील पेश नहीं की जा सकती । प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व नियमों के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया है । सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है जिसकी अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं और पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.01.2017 के अनुसार पक्षकारान ने तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की है । अपीलान्टगण को यदि बंटवारा प्रस्ताव से आपत्ति थी तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति करनी चाहिए थी । आदेशिका के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान ने सहमति व्यक्त की है तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी की है । सहमति के आधार पर जारी डिक्री की अपील मेन्टेनेबल नहीं है। यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उनके द्वारा सहमति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई थी तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । सहमति के आधार पर जारी अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/18

नन्दलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोरधन लाल जाति धाकड निवासी खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. नरेश कुमार पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद ।
3. कान्ही बाई पत्नी अमर लाल मेघवाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद ।
4. शांति बाई पत्नी रामलाल धाकड निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 131/दावा/2016

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोरधन लाल जाति धाकड निवासी खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. नरेश कुमार पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद ।

——वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कान्ही बाई पत्नी अमर लाल मेघवाल निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद ।
3. शांति बाई पत्नी रामलाल धाकड निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र गोचर श्री धीरेन्द्र मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा